

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन

क्रमांक एफ.वी.1(1)स्थापन/ब-1/2020/

जयपुर दिनांक


आदेश

पशुपालन विभाग के निम्नांकित वाहन चालकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्रशासनिक कारणों से/लोकहित में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.स.	नाम कार्मिक	कहाँ से	कहाँ को	विशेष विवरण
1	वीरेन्द्र सिंह राठौड़	कार्यालय अति. निदे. क्षेत्र पशुपालन विभाग जयपुर	का स नि पपावि जयपुर	राजेन्द्र सिंह के स्थान पर
2	राजेन्द्र सिंह	का स नि पपावि जयपुर	कार्यालय अति. निदे. क्षेत्र पशुपालन विभाग जयपुर	वीरेन्द्र सिंह के स्थान पर
3	नखत सिंह	प.आ. चल ईकाई सिरौही	जिला पशुधन आरोग्य चल इकाई, जोधपुर	जगमाल सिंह के स्थान पर
4	जगमाल सिंह	जिला पशुधन आरोग्य चल इकाई, जोधपुर	गोपालन निदेशालय, जयपुर (प्रतिनियुक्ति पर)	
5	देवनारायण गुर्जर	उप निदेशक, प्रशिक्षण संस्थान बरसी, जयपुर	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजसमन्द	रिक्त पद पर
6	भूपेन्द्र कुमार	अतिरिक्त निदेशक, बी.पी. लैब, जयपुर	उप निदेशक, प्रशिक्षण संस्थान बरसी, जयपुर	देवनारायण गुर्जर के स्थान पर
7	हेमराज वर्मा	का. स.नि. पशुपालन विभाग, बांरा	का. स.नि. पशुपालन विभाग टोंक	विनोद पहाडिया के स्थान पर
8	विनोद पहाडिया	का. स.नि. पशुपालन विभाग टोंक	का. स.नि. पशुपालन विभाग, बांरा	हेमराज वर्मा के स्थान पर
9	मुकेश कुमार बैरवा	का. स.नि. पशुपालन विभाग, बांरा	का. स.नि. पशुपालन विभाग, सवाईमाधोपुर	नीरज कुमार के स्थान पर
10	नीरज कुमार	का. स.नि. पशुपालन विभाग, सवाईमाधोपुर	का. स.नि. पशुपालन विभाग, बांरा	मुकेश कुमार बैरवा के स्थान पर

श्री फैलीराम वाहन चालक का स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, बीपी लैब, जयपुर में श्री भूपेन्द्र कुमार के स्थान पर किया जाता है।

क्र.स. 5, 8 एवं 10 के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।


(डा. विरेन्द्र सिंह)
निदेशक


क्रमांक एफ.वी.1(1)स्थापन/ब-1/2020/5361-5386

जयपुर दिनांक

31/12/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
5. सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक 'क्षेत्र', पशुपालन विभाग।
6. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग।
7. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नियन्त्रण अधिकारी, पशुपालन विभाग।
8. निजी पंजिका/ रक्षित पंजिका।


निदेशक